रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 1993/भाद्र 5, 1915
No. 175] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 1993/BHADRA 5, 1915

कल्याण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1993

संख्या : 3/1/92-ए०एफ० :—सरकार ने सामाजिक सूझ-बूझ और कमजोर वर्गों के उन्नयन के लिए डा० अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु निम्नानुसार एक निर्णायक मण्डल गठित/नियुक्त करने का निर्णय किया है :—

(क) भारत के उप-राष्ट्रपति (पदेन)	अध्यक्ष
(ख) भारत के मुख्य न्यायाधीश (पदेन)	उपाध्यक्ष
(ग) डा० पी० सी० अलेक्जेंडर, राज्यपाल महाराष्ट्र	सदस्य
(घ) डा० रफ़ीक ज़कारिया	सदस्य
(ङ) प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय	सदस्य
(च) न्यायमूर्ति के० रामास्वामी	सदस्य
(छ) श्री मल्क राज आनन्द	सदस्य

2. निर्णायक मण्डल का कार्यक्षेत्र :

(क) पुरस्कार के लिए नामांकन करने हेतु उन पात्र व्यक्तियों द्वारा लिखित रूप में संस्तुत किए गए उन व्यक्तियों और संगठनों में से व्यक्ति(यों) या व्यक्तियों के समूह या संगठन(नों) या चयन करना जिसे सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने तथा भारत के कमजोर वर्गों के उत्थान करने हेतु उत्कृष्ट योगदान करने के लिए 10 लाख रु० का पुरस्कार दिया जाएगा; सिफारिश भेजने के लिए जिनको पात्र घोषित नहीं किया गया है, उनके द्वारा भेजे गए व्यक्तिगत आवेदन और नामांकनों को जूरी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा;

(ख) किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन या किसी एक प्राप्तकर्त्ता या संगठन से अधिक का संयुक्त रूप से 10 लाख रु० का पुरस्कार देने पर विचार करना, यदि जूरी की राय में वे उस वर्ष में समान रूप से मान्यता के पात्र हैं;

(ग) नामांकनों से ठीक पहले के दस वर्षों के भीतर व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए एकमात्र योगदानों पर विचार करना। तथापि, यदि पहले के योगदानों पर भी विचार करना यदि उसका/उनका महत्व स्थाई स्वरूप का हो;

(घ) सरकार द्वारा शुरू की गई तथा समय-समय पर यथासंशोधित संलग्न डा० अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार योजना में निर्धारित उपबंधों के अनुसार पुरस्कार प्राप्तकर्ता का चयन करना।

3. पदेन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अलावा निर्णायक मण्डल का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

4. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के लिए निर्णायक मण्डल के गैर-सरकारी सदस्य समय-समय पर यथासंशोधित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ 6(26)ए/IV/59 दिनांक 5 सितम्बर 1960 में निहित उपबंधों द्वारा शासित होंगे। तथापि, वे अपनी इच्छानुसार हवाई यात्रा के हकदार होंगे।

5. यह मंत्रालय के वित्त सलाहकार की डायरी सं० 333/एफ०ए०/93 दिनांक 24 अगस्त 1993 के तहत उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

गंगा दास, संयुक्त सचिव

सामाजिक सूझबूझ तथा कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए

डा० अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार

(प्रक्रिया—संहिता)

खण्ड 1

पुरस्कार का विवरण :

1. राष्ट्रीय पुरस्कार भारत में सामाजिक समझ को बढ़ाने तथा कमजोर वर्गों की उन्नति की दिशा में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा।

2. प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए होगी। इसके साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा।

3. यह पुरस्कार व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाएगा।

4. पुरस्कार वर्ष में जूरी द्वारा विचारित समान रूप से अभिज्ञात अधिकारी एक से अधिक प्राप्तकर्त्ताओं या संगठनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जा सकता है।

5. सामान्यतया: पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। तथापि, यदि इस संहिता में उल्लिखित निदेशानुसार जूरी के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् मृत्यु हो जाती है तब ऐसी स्थिति में पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा सकता है।

6. इस उद्देश्य के लिए गठित जूरी, व्यक्तियों तथा संगठनों की उपलब्धियों पर विचार करेगी। भारतीय समाज की मुख्यधारा में कमजोर वर्गों को शामिल करने की दिशा में किए गए प्रयास, उनके सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नयन के लिए किए गए कार्यों पर पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं की पहचान करते समय मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। जूरी पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं की पहचान अभिनिर्धारण कर सकती है। जूरी किसी अन्य संबंधित पहलू पर भी विचार कर सकती है।

खण्ड 2

पुरस्कार के लिए पात्रता :

1. किसी वंश, जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संगठन पुरस्कार के पात्र होंगे।

2. इस संहिता के अध्याय–4 में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार लिखित में संस्तुत व्यक्तियों/संगठनों के बारे में ही जूरी द्वारा पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा।

3. किसी भी व्यक्तिगत आवेदन-पत्र पर जूरी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

खण्ड 3

पुरस्कार की अवधि :

1. यह पुरस्कार वर्ष 1992 में स्थापित किया जाएगा तथा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा बशर्ते कोई भी प्रस्ताव मान्य नहीं पाया गया हो।

2. नामांकन से ठीक पूर्ववर्ती 10 वर्षों के योगदान पर पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा। तथापि, पहले के योगदानों पर भी विचार किया जा सकता है यदि उसका महत्व स्थायी प्रकृति का है।

खण्ड 4

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सक्षमता :

1. पुरस्कार के लिए प्रस्तावों को संस्तुत करने के लिए निम्नांकित सक्षम होंगे :—

(क) भारत सरकार के मंत्रालय

(ख) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

(ग) भारत की संसद के सदस्य

(घ) पुरस्कार प्राप्त कर चुके सदस्य

(ङ) जूरी के पूर्व सदस्य

(च) भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपति

(छ) ऐसा कोई भी व्यक्ति या संगठन जिसे पुरस्कार के लिए नामांकन भेजने के लिए जूरी आमंत्रित करे।

2. ऐसे उपर्युक्त खण्ड–1 के उपबंधों के अनुसार नामांकन आमंत्रित करने के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रथम सप्ताह में एक परिपत्र जारी किया जाएगा।

3. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख जूरी उपवाक्य–2 के अनुसार जारी किए गए परिपत्र में उल्लिखित तारीख तक तथा प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय में प्राप्त सभी नामांकनों पर विचार करेगी, बशर्ते इस जूरी के अध्यक्ष की यह राय है कि यह समय सामान्य या किसी विशेष नामांकन के लिए विस्तरित किया जाए।

4. नामांकन/संस्तुतियां पर्याप्त औचित्य के साथ विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

खण्ड 5

प्रस्तावों का मूल्यांकन :

1. किसी भी ऐसी उपलब्धि के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाएगा जिसे जूरी ने समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति तथा सामाजिक समझ को बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय नहीं पाया हो। नामांकनों पर विचार करते समय खण्ड–1 में दिए गए विस्तृत पैरामीटरों को ध्यान में रखा जाएगा।

2. समाज के कमजोर वर्गों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले प्रकाशित कार्य या जन-आन्दोलन पर भी पुरस्कार हेतु विचार किया जा सकता है।

3. विचारार्थ पात्रता हेतु जन आन्दोलन को विस्तृत रूप से मान्यता तथा प्रशंसा प्राप्त होनी चाहिए।

खण्ड 6

चयन

1. भारत सरकार द्वारा नियुक्त जूरी ही पुरस्कार के लिए संवीक्षा तथा अंतिम चयन करेगी।

2. जूरी में सात सदस्य होंगे, जो सभी भारतीय नागरिक होंगे।

3. (क) भारत के उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश जूरी के स्थायी सदस्य होंगे।

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति जूरी के अध्यक्ष होंगे। यदि किन्हीं कारणों की वजह से वह उस समय उपस्थित न हो सकें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

(ग) शेष पांच सदस्यों को नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा निम्नांकित वर्गों के व्यक्तियों में से की जाएगी

(1) प्रख्यात पत्रकार

(2) प्रख्यात शिक्षाविद

(3) कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए उल्लेखनीय कार्य कर चुका कोई व्यक्ति

(4) भारतीय जनता के बीच से दो विख्यात व्यक्ति।

4. 3(क) में उल्लिखित सदस्यों को छोड़कर जूरी के सदस्यों की नियुक्त 3 वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी। तथापि, तीन वर्ष पूरा कर चुके सदस्य पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

5. यदि जूरी का कोई सदस्य अपनी पदावधि के पूरा होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी शेष अवधि के लिए दूसरे सदस्य की उसके स्थान पर नियुक्ति की जाएगी।

6. जब तक जूरी के कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों, जूरी कोई भी अन्तिम निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं होगी।

7. जूरी का निर्णय बहुमत के मत द्वारा किया जाएगा यदि दोनों ओर बराबर-बराबर मत हों, तो उस विशेष बैठक की अध्यक्षता करने वाला अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकेगा।

8. पुरस्कार से संबंधित जूरी की चर्चाओं, वार्तालापों, मतों (विचारों) तथा कार्रवाई को उजागर या अन्यथा प्रकट नहीं किया जाएगा।

9. जूरी यथासंभव पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल अर्थात् बाबा साहेब के जन्म दिवस के पहले अपने निर्णय की घोषणा करेगी।

10. जूरी का निर्णय अन्तिम होगा तथा उसके विरूद्ध कोई भी अपील या विरोध नहीं किया जा सकेगा।

खण्ड 7

पुरस्कार को प्रदान किया जाना :

1. पुरस्कार यथासंभव प्रत्येक वर्ष के 14 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह के अवसर पर दिया जाएगा।

2. पुरस्कार प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर पुरस्कार प्राप्त करने तथा पुरस्कार के लिए मान्यताप्राप्त कार्य के संबंध में जनता के सामने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

3. पुरस्कार राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुरस्कार समारोह के अवसर पर किया जाएगा।

4. यदि कोई पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरस्कार प्राप्त करने से इन्कार कर देता है तो वह राशि डा० अम्बेडकर फाउण्डेशन को वापस कर दी जाएगी।

खण्ड 8

सामान्य :

1. जूरी अपनी कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करके इस संहिता में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। यदि प्रस्तावित प्रस्ताव को भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो वह भारत सरकार द्वारा निर्णीत तारीख से लागू माना जाएगा।

2. भारत सरकार जूरी के साथ पूर्व परामर्श करके इस संहिता में संशोधन कर सकती है।

3. पुरस्कार तथा उससे सम्बन्धित सभी प्रासंगिक व्ययों के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

4. पुरस्कार के लिए सचिवालय की व्यवस्था भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय या उक्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर नामित किसी एजेंसी द्वारा की जाएगी।

MINISTRY OF WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 26th August, 1993

No. 3/1/92-AF.—The Government have decided to constitute/appoint the Jury for Dr. Ambedkar National Award for social understanding and upliftment of the weaker sections as under :—

(a) Vice President of India (ex-Officio)	Chairman
(b) Chief Justice of India (ex-Officio)	Vice Chairman
(c) Prof. D. P. Chattopadhyay of Maharashtra	Member
(d) Dr. Rafiq Zakaria	Member
(e) Pof. D. P. Chattopadhyay	Member
(f) Justice K. Ramaswami	Member
(g) Shri Mulk Raj Anand	Member

2. The terms of reference for the Jury are to :

(a) Selection the person(s) or group of persons or odganisation(s) or Institution(s) who shall be given the National Award of Rs. 10 lakhs for outstanding contribution to the promotion of social understanding and the upliftment of the weaker sections of India, from out of those persons and organisations recommended in writing by those eligible to make nominations to the Award; personal applications and nominations by those who have not been declared eligible to send the recommendations should not be entertained by the Jury.

(b) Consider to give one Award of Rs 10 lakhs to an individual or an organisation or jointly to be shared by more than one receipient or organisation, if they are, in the opinion of the Jury, to be equally deserving of recognition in the year.

(c) Consider only the contributions made by the individuals and organisations within the last ten years, immediately preceding the nominations, However, earlier contributions may also be consdered if its/ their significance has been of abiding nature.

(d) Select the Awardee, as per the provisions prescribed in the enclosed scheme of Dr. Ambedkar National Award instituted by the Government, and as amended from time to time.

3. The terms of the Jury other than the Ex-Officio Chairperson and Vice Chairperson shall be for a period of three years.

4. For TA|DA, etc. the non-official members of the Jury will be covered by the provisions contained in the Ministry of Finance O.M. No. F. 6(2c)A|IV|59 dated 5th September 1960, as amended from time to time. However, they will be entitled to travel by air at their discretion.

5. This issues with the concurrence of Financial Adviser of the Ministry vide Dy. No. 333|FA|93 dated 24th August, 1993.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution to be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India and all States and Union Territoires.

Ordered also that the Resolution to be published in the Gazette of India for general information

GANGA DAS, Jt. Secy.

DR. AMBEDKAR NATIONAL AWARD FOR SOCIAL UNDERSTANDING AND UPLIFTMENT OF WEAKER SECTIONS

Section I

DESCRIPTION OF THE AWARD

1. The National Award shall be given for outstanding contribution to the promotion of Social Understanding and for the Upliftment of the Weaker Sections in India.

2. There shall be one Award each year. It shall carry an amount of Rs. 10 lakhs. It shall also carry a citation.

3. The Award shall be presented to individuals or organisations.

4. The Award may be presented jointly, or shared by more than one recipient or organisations as may be considered by the Jury to be equally deserving of recognition in the year.

5. Normally the Award will not be presented posthumously. If, however, the death occurred subsequent to a proposal having been submitted to the Jury in the manner stipulated in his code, then the Award may be presented posthumously.

6. A Jury constituted for the purpose shall consider the achievements of the individuals and organisations nominated| recommended for the Award by the prescribed authorities. The efforts made towards integrating the Weaker Sections into the main stream of Indian Society, working for their socio-economic and educational upliftment shall be the primary consideration in identifying the Awardee. The Jury may also consider any other related aspect.

SECTION II

ELIGIBILITY FOR AWARD

1. All persons or group of persons or organisations without any distinction of race, caste or creed or sex shall be eligible for the Award.

2. Only persons/organisations recomended in writing in accordance with the criteria laid down in Chapter IV of this code will be considered by the Jury for the Award.

3. No personal applications shall be entertained by the Jury.

SECTION III

PERIOD OF AWARD

1. The Award shall be instituted in the year 1992 and shall be conferred annually, provided that if none of the proposals merit recognition, the Award may be withheld that year.

2. Contributions made within the period of ten years immediately preceding the nomination shall be considered for the Award. However, the earlier contributions may also be considered if its significance has been of abiding nature.

SECTION IV

COMPETENCE TO SUBMIT PROPOSALS

1. Competence recommended proposals for the Award shall be enjoyed by :

(i) Ministers of the Government of India

(ii) State Governments/Union Territory Administrations

(iii) Members of Parliament of India

(iv) Persons who have received the Award

(v) Former Members of the Jury

(vi) Vice Chancellors of Indian Universities

((vii) Any other person or organisation whom the Jury may wish to invite to make nomination(s) for the Award.

2. Every year, a Circular will be issued in the first week of November, inviting nominations in accordance with the provisions of Sub-section 1 above.

3. Date for submission of Proposals : The Jury shall consider all nominations as received in the office specified in the circular to be issued vide Clause 2, up to and including 31st December of each year, unless the Chairperson of the Jury is of the opinion that such time should be extended either in general or with reference to a particular nomination.

4. Nominations/Recommendations to be cosidered should be supported by adequate justification.

SECTION V

EVALUATION OF PROPOSALS

1. No achievement shall merit an Award unless it is, in the opinion of the Jury, outstanding in promoting social understanding and upliftment of the Weaker Sections of Society. While considering the nominations, the broad parameters as detailed in Section I shall be kept in view.

2. A published work, or a mass movement, which has made considerable impact on the quality of life of the Weaker Sections of the Society, may also be considered for the Award.

3. A mass movement in order to be eligible for consideration should have been widely recognised and acclaimed.

SECTION VI

SELECTION

1. The scrutiny and final selection for the Award shall be made by a Jury to be appointed by the Government of India.

2. The Jury shall consist of seven members who shall all be Indian Nationals.

3. The Jury shall be constituted as follows :—

(i) The Vice-President of India and the Chief Justice of India shall be permanent ex-officio Members of the Jury.

(ii) The Vice-President of India shall be the Chairperson of the Jury. If for some reason it is not possible for him to be present, then the Chief Justice of India shall act as the Chairperson.

(iii) The other five Members shall be nominated by the President of India from amongst the persons belonging to following categories :

(a) An eminent Journalist.

(b) An eminent educationist.

(c) A person who has done outstanding work for the upliftment of Weaker Sections.

(d) Two eminent persons from public life in India.

4. Members of the Jury, except those mentioned in 3((i) shall be appointed for a period of three years. However, Members who have completed three years shall be eligible for reappointment.

5. If a Mmber of the Jury retires or dies, before the expiry of the completion of the full term, another Member shall be appointed in that place for the residual part of the term.

6. The jury shall not be competent to take a final decision, unless at least four of its Members are present.

7. The decisions of the Jury shall be by a majority vote. In the event of the voters on both sides being equal, the Chairperson presiding over a particular meeting shall have a casting vote.

8. The discussions, deliberations, opinions and proceedings of the Jury in connection with the Award shall not be made public or otherwise revealed.

9. The Jury shall announce its decisions as far as possible well before 14th April—Baba Saheb's Birthday—every year for the previous calender year.

10. Decision of the Jury shall be final and no appeal or protest could be made against them.

SECTION VII

PRESENTATION OF AWARD

1. The Award, as far as possible shall be presented at a Special Ceremony at New Delhi on 14th April every vear.

2. The Awardee shall be invited to receive the Award in person, and also to give a public lecture connected with the work recognised for the Award.

3. The payment of the amount of the Award shall be made at the Award Ceremony by mode of a Bank Draft.

4. Should an Awardee decline the Award, the amount shall revert to Dr. Ambedkar Foundation.

SECTION VIII

GENERAL

1. The Jury may propose an amendment in the Code, by passing a resolution by 2/3rd majority of the total membership of the Jury. In case, the proposed amendment is approved by the Government of India, it shall come into force from the date decided by the Government of India.

2. The Government of India may also make amendment in the Code with prior consultation with the Jury.

3. The necessary finance for the Award, and all expenses incidental thereto shall be provided by the Government of India.

4. The Secretariat for the Award shall be provided by Dr. Ambedkar Foundation, Ministry of Welfare of Government of India, or such other agency as the said Ministry may nominate from time to time.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993